रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 305] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4, 1984/श्रावण 13, 1906
No. 305] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4, 1984/SRAVANA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1984

सा. का. नि. 588(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 30) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1984 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1984 के नियम 3 के उपनियम (1) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह उपनियम चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1963 के नियम 28 के उपनियम (2) के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5क के अधीन किए गए पुनः प्रमाणन के आवेदन को लागू नहीं होगा ।"

[फा. सं. 103/9/83-एफ (1) वाल्यूम-2]

विजेन्द्र सिंह जाफा, संयुक्त सचिव

फुट नोट:—भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (i) तारीख 14 दिसम्बर, 1983 में सा.का.नि. 887(अ) के रूप में प्रकाशित ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 1984

G.S.R. 588(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Cine-Workers Welfare Cess Act, 1981 (No. 30 of 1981) the Central Government hereby makes the following rules to amend the Cine-Workers Welfare Cess Rules, 1984, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cine-Workers Welfare Cess (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cine-Workers Welfare Cess Rules, 1984, in sub-rule (1) of rule 3, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that this sub-rule shall not apply to an application for re-certification made under section 5A of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), read with sub-rule (2) of rule 29 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983."

[F. No. 103|9|83-F(I)Vol.II]

VIJENDRA SINGH JAFA, Jt. Secy.

FOOT NOTE :—Published as G.S.R. 887(E) in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (i), dated 4th December, 1983.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984